राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान—उदयपुर

क्रमांक एफ—1 (2)(पी.एम.टी./पी.ई.टी.)/टीआरआई/15—16/ दिनांक—

विज्ञप्ति

इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोटा/उदयपुर स्थित संस्थाओं में निःशुल्क परीक्षा पूर्व कोचिंग अनुसुचित क्षेत्र के जनजाति के छात्रों हेतु

"अनुसूचित क्षेत्र (बांसवाडा व डूंगरपुर पूर्ण जिला, उदयपुर जिले की झाडोल, सराडा, कोटडा, लसाडिया, सलुम्बर, खेरवाडा, ऋषभदेव, गिर्वा (81 गॉव), गोगुन्दा (52 गॉव) तहसीले, प्रतापगढ जिले की प्रतापगढ, धरियावद, पीपलखूंट, एवं अरनोद तहसीलें तथा सिरोही जिले की (आबूरोड पंचायत समिति) के 12 वीं (विज्ञान) परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं जिनके माता/पिता/अभिभावक आयकर दाता नहीं हो, को निम्नानुसार कोटा एवं उदयपुर स्थिति संस्थानों में नियमित कोचिंग प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है।

क.स.	कोटा स्थित संस्थाएं
1	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.—6, इन्द्रा विहार, कोटा
2	केरियर पॉइन्ट, सी.पी.टॉवर, रोड नम्बर—1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा
3	रेजोनेंस इडूवेन्चर्स प्रा. लि. जे—2, जवाहरनगर, मेन रोड, कोटा
	उदयपुर स्थित संस्थाएं
4	ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387—388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर —3, उदयपुर
5	एम. के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर

1. पात्रता संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली "प्रवेश परीक्षा — 2015" में उत्तीण कर प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र/छात्राएं इस हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
2. कक्षा 12वीं (विज्ञान) में प्राप्त अंको के आधार पर वरियता से छात्र/छात्राओं का चयन किया जावेगा।
3. योजनान्तर्गत वर्ष 2015 में 12वीं कक्षा की परीक्षा विज्ञान विषय लेकर न्युनतम 60 प्रतिशत अंक से उत्तीण करने वाले छात्र/छात्रा ही पात्र होंगे। पूर्व से योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके छात्र/छात्राएं पात्र नहीं होंगे।
4. योजनान्तर्गत संस्थान द्वारा निम्न परिलाभ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे:
   (अ) कोर्स फीस का पुर्नभरण मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम रूपये 55,000/— (पचपन हजार) देय होंगे।
   (ब) प्रतिमाह 1000/— की छात्रवृति (अधिकतम मार्च, 2015 या 10 माह/ जो भी कम हो।
   (स) रूपये 5000/— की सहायता राशि एक मुश्त (पुस्तकें, स्टेशनरी कय करने के मूल वाउचर प्रस्तुत करने पर)

पात्र आवेदक "अनुसूचित क्षेत्र" का निवासी होने का प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का प्रामाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र (जो माता/पिता/अभिभावक/परिवार की समस्त स्त्रोंतो से आय को दर्शाता हो)। आवेदक के माता/पिता/अभिभावक राज्य कर्मचारी होने की दशा में फॉर्म नं. 16 की सत्यापित प्रति एवं वर्ष 2014—15 की आयकर विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न करें) 12वीं कक्षा की अंक तालिका एवं कोचिंग में प्रवेश की मूल रसीद के साथ निर्धारित प्रारूप में` दिनांक 14.8.15 को सांय 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते है। संस्थान द्वारा पात्रता की जांच उपरान्त मूल रसीद एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा कराने होंगे। इस हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा। अतः अभ्यार्थी समय पूर्व आवेदन किया जाना सुनिश्चित करे। शपथ पत्र एवं कोचिंग संस्था से नियमित अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र का आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट "www.tad.rajasthan.gov.in" से प्राप्त की जा सकती है।

(आर.एन.चाहिल)
निदेशक

आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटा
संस्था प्रदान
द्वारा प्रमाणित

1	कोर्स जिस हेतु कोचिंग प्राप्त की जा रही है।	
2	कोचिंग संस्था का नाम	
3	कोचिंग पाठ्यक्रम की अवधि	
4	अभ्यर्थी का नाम	
	(अ) हिन्दी में	
	(ब) ENGLISH (CAPITAL LETTERS)	
5	पिता/अभिभावक का नाम	
6	माता का नाम	
7	पिता/अभिभावक का व्यवसाय	
8	माता का व्यवसाय	
9	स्थाई पता	
10	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता मय दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नम्बर	
11	जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12	मूल निवास का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
13	12वीं में प्राप्तांकों का प्रतिशत (अंक तालिका की छाया प्रति संलग्न करें)	
14	अभिभावक की वार्षिक आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
15	अभिभावक आयकरदाता है या नहीं (प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
16	आधार कार्ड नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें)	
17	अदा किया गया शुल्क (मूल रसीद संलग्न करें)	
18	रसीद संख्या एवं दिनांक	
19	कोचिंग संस्था में एनरोलमेंट / प्रवेश नम्बर	
20	बैंक खाता संख्या	
21	बैंक का नाम एवं शाखा (पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें)	

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र
(10 रू. स्टाम्प एवं नोटरी प्रमाणित)

मैं कि .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....निवासी – ....
पोस्ट ....तहसील ....जिला .... राजस्थान का/की हूँ जो कि ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ पत्र आलेखित करता/करती हूँ कि :–

(1) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मैं .... संस्थान में वर्ष 2014 – 15 में अध्ययनरत हूं। तथा ....की कोचिंग ले रहा हूँ जिसकी साक्षी हेतु फीस की रसीद व एनरोलमेंट कार्ड संलग्न है।

(2) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मैं अनुसूचित जनजाति का नियमित अध्ययनरत् छात्र / छात्रा हूँ तथा मेरी जाति ....है। प्रमाण पत्र अनुलग्नक ....पर संलग्न है।

(3) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मैं अनुसूचित क्षेत्र का/की निवासी हूँ। प्रमाण पत्र अनुलग्नक ....पर संलग्न है।

(4) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मैंने पूर्व में कोचिंग सहायता राशि निदेशक, टी. आर.आई. / अन्य किसी विभाग/ संस्थान से प्राप्त नही की है तथा 12 वीं की परीक्षा सन् 2015 में दी है। जिसमें मेरे प्राप्तांक ....प्रतिशत है। मै। कोचिंग में रिपीटर नही हूँ। प्रमाण पत्र अनुलग्नक.............................. पर संलग्न है।

(5) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मेरे पिता/अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये ....अक्षरे..रू. है। प्रमाण पत्र अनुलग्नक .... पर संलग्न है।

(6) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकरदाता नही है। प्रमाण पत्र अनुलग्नक ....पर संलग्न है।

(7) मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि जिस संस्थान से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ उसके अलावा अन्य किसी जगह अध्ययनरत नही हूँ। यदि किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो मै। प्राप्त छात्रवृति/कोचिंग सहायता राशि विभाग को लौटाने के लिए जिम्मेदार एवं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

(8) उपरोक्त शपथ–पत्र तथा आवेदन व साथ में संलग्न दस्तावेजों में दिये गये सभी तथ्य व विवरण पूर्णतया सही है यदि कोई तथ्य गलत अथवा मिथ्या पूर्ण पाया जाता है तो मुझे दी गई राशि को ब्याज सहित वापस जमा कराउगां/कराउगी एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये मैं स्वय जिम्मेदार होउगा/होउगी।

(9) उपरोक्त तथ्य सही एवं सत्य है। ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद सहायता करें। यह शपथ–पत्र आज दिनांक ....को आलेखित किया गया है। अपूर्ण व तथ्य गलत होने पर मेरा आवेदन विभाग निरस्त कर सकता है।

संलग्न :– दस्तावेजो की संख्या

हस्ताक्षर शपथकर्ता

हस्ताक्षर अभिभावक/संरक्षक/पिता